<u>न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश, प्रथम, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–652/2015</u>

मु0 पार्वती देवी.....वादिनी

बनाम

केदार भगत एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
04.07.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादिनी की ओर से एक आवेदन दिनांक 15.07.2022 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं दफा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 04.07.2024 को सुना। **<u>आदेश (ORDER)</u>** वादिनी की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा वादपत्र के मद न0–02 में दर्ज एराजी के बंटवारा हेतु लाया गया है। टंकक की गलती के कारण वादपत्र में कुछ शब्द गलत टाईप हो गया है। वाद प्रारंभिक अवस्था में है तथा वाद बिन्दु का गठन नहीं हुआ है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है तथा इससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही होता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादिनी के संशोधन आवेदन को आवेदनानुसार संशोधन करने की अनुमति प्रदान करें। इसके लिए वादिनी श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगी। प्रतिवादीगण की ओर से वादिनी के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है बल्कि मौखिक विरोध किया गया है। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद उपस्थिति हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रकम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादिनी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर	

<u>न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश, प्रथम, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–652/2015</u>

मु0 पार्वती देवी.....वादिनी

बनाम

केदार भगत एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 04.07.2024	कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है लेकिन वादिनी के द्वारा अगर वादपत्र दाखिल करते समय सतर्कता बरती जाती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में एवं अनावश्यक बहुलता से बचने के लिए वादिनी का आवेदन दिनांक 15.07.2022 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मो0–2000/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें तथा प्रतिवादीगण को भी स्वतंत्रता होगी कि वह वादपत्र में संशोधन के परिपेक्ष्य तक प्रतिवाद पत्र में अगर आवश्यक समझे तो संशोधन कर सकता है। वाद दिनांक 31.07.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	